न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 83 / 2020

नगेन्द्र कुमार शर्मा, जवाहर कॉलोनी खादी भण्डार के पास, भुसावर जिला भरतपुर

बनाम

तहसील जनगणना अधिकारी (तहसीलदार) वैर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 25.11.2020**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट श्री नगेन्द्र कुमार शर्मा, जवाहर कॉलोनी खादी भण्डार के पास, भुसावर जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 17.08.2020 के द्वारा तहसील जनगणना अधिकारी (तहसीलदार) वैर से सूचना चाही गयी थी। तहसील जनगणना अधिकारी (तहसीलदार) वैर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 666 दिनांक 29.10.2020 के द्वारा तहसील जनगणना अधिकारी (तहसीलदार) वैर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। तहसील जनगणना अधिकारी (तहसीलदार) वैर से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं तहसील जनगणना अधिकारी (तहसीलदार) वैर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट द्वारा तहसील जनगणना अधिकारी (तहसीलदार) वैर से उक्त सूचनांऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में तहसील जनगणना अधिकारी (तहसीलदार) वैर से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है, जो गंभीर बात है। तहसील जनगणना अधिकारी (तहसीलदार) वैर से जबाब प्राप्त नहीं होना यह जाहिर करता है कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। लोक सूचना अधिकारी तहसील जनगणना अधिकारी (तहसीलदार) वैर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्येनजर रखते हुये तदोपरान्त ही अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसील जनगणना अधिकारी (तहसीलदार) वैर को प्रेषित हो।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.12.18 16:20:18 IST
Reason: SelfAttested